<u>न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० जलेसर, एटा।</u>
उपस्थित : श्री मोहित कुमार (J.O. CODE- UP 4823) उ०प्र० न्यायिक सेवा
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या– 105/2026

हिना **बनाम** आमिर अली आदि

धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०
थाना–सकरौली, जिला एटा

<u>19.07.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर आवेदिका मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आयी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० पर सुना गया। पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु नियत है।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०</u>

आवेदिका की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन० एस०एस० इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिया/पीडिता हिना पत्नी आमिर अली पुत्री सकील निवासी ग्राम रजा नगर, पोस्ट नगला अन्नी, थाना सकरौली जिला एटा की रहने वाली है। प्रार्थिया/पीडिता का विवाह दिनांक 24.06.2025 को आमिर अली पुत्र स्व० नसीम अली निवासी मौहल्ला हरी दरगा के पीछे आकाशवाणी थाना रामगढ़ जिला फिरोजाबाद के साथ सम्पन्न हुआ था। जिसमें प्रार्थिया पीडिता के माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार समस्त प्रकार का घर गृहस्ती का माल सामान व सोने चाँदी के जेवरात और मागने पर मोटरसाईकिल के लिए मु0–1,05,000/– रूपये नकद दिये थे। विवाह के बाद से ही प्रार्थिया पीडिता के पति व ससुरालीजन उपरोक्त दिये हुए दान से खुश नहीं थे और आये दिन प्रार्थिया पीडिता को अतिरिक्त दहेज में मु– 1,00,000/–रूपये की नकद मांग करने लगे। और जिसको पूरा न कर पाने के कारण पति आमिर, वसीम (जेठ), फैजल (देवर) पुत्रगण स्व० नसीम अली, सायदा पत्नी स्व० नसीम अली (सास), फरीन पुत्री स्व० नसीम अली (ननद) निवासीगण उपरोक्त व सलीम पुत्र नामालूम निवासी ग्राम रपढ़ी, जिला फिरोजाबाद एकराय मशवरा होकर प्रार्थिया पीड़िता के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की नियत से मारपीट करते थे और भूखा प्यासा रखते थे। प्रार्थिया पीडिता का पति शराब की लत का आदतन है जो आय दिन शराब पीकर आता था और अपनी मां बहिन से हाथ पैर और बाल पकड़वाकर गलत तरीके से मारपीट करता था और तो और प्रार्थिया पीडिता के पति व ससुरालीजन ने फॉसी तक लगाने की कोशिश है वमुश्किल प्रार्थिया/पीडिता ने जान बचायी है, और बीच में मौका पर प्रार्थिया पीडिता के फैजल (देवर) गलत नियत से पकड़कर गलत हरकत करने की कोशिश करता था। जिसकी शिकायत प्रार्थिया/पीडिता ने अपने पति व ससुरालीजन से की। जिन्होने कुछ भी नहीं किया और उल्टा प्रार्थिया पीड़िता को ही मारपीट कर चुप करा दिया और उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रार्थिया पीडिता ने अपने परिवारीजनो से शिकायत की तो उपरोक्त लोग कहने लगे कि साली तेरे घरवाले क्या कर लेगे, और लगभग 06 माह पूर्व मात्र पहने हुए कपड़ो में जोर जबरदस्ती

कर उपरोक्त घटना कारित करते हुए घर से निकाल दिया तब से प्रार्थिया/पीडिता अपने माता पिता के घर पर रह रही है और फिर सलीम से भी कई बार कहा कि आप इन सब लोगो के साथ गलत कर रहे है। तो उल्टा सलीम ही कहने लगे कि तुम सालो इसी लायक हो तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। उपरोक्त घटना को लेकर प्रार्थिया/पीडिता व उसका परिवार बहुत डरा हुआ है और सम्बंधित थाने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है तब निराश होकर श्रीमान जी के समक्ष शिकायत प्रार्थना पत्र भेज रही है तब प्रार्थिया/पीड़िता ने दिनांक 29.06.2026 को एक प्रार्थना पत्र टाइप कराकर अभियुक्तगणों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने हेतु बजरिये रजिस्टर्ड डाक श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एटा को भेजा। लेकिन उस पर भी अभी तक अभियुक्तगणों के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित नहीं हुई। तब प्रार्थिया/पीड़िता मजबूर होकर माननीय न्यायालय में अभियुक्तगणों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। न्यायहित में अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना– सकरौली, जिला एटा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किया जाना आवश्यक है।

आवेदिका की ओर से अपने कथनों के समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थना पत्र मय रजिस्ट्री एवं आधार कार्ड की छायाप्रति पत्रावली पर दाखिल की गई है।

आवेदिका के प्रार्थना पत्र पर थाने से आख्या तलब की गयी। थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के सम्बन्ध में थाना पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। न्यायालय मतानुसार मामले के सभी तथ्य आवेदिका एवं गवाहों की जानकारी में हैं। कोई भी ऐसा साक्ष्य संकलित नहीं किया जाना है जो मात्र विवेचना से ही संकलित किया जा सके। मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत मामले को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर, इस न्यायालय द्वारा स्वंय जाँच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–<u>आदेश</u>–

अतः प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। प्रदीप अग्रवाल बनाम उ०प्र० राज्य (प्रार्थना पत्र 482 दं०प्र०सं० 10390/2024 में पारित आदेश दिनांकित 26.11.2024) में दी गयी विधिव्यवस्था के आलोक में विपक्षीगण की आपत्ति आने से पूर्व परिवादी व उसके साक्षीगण के बयान अंकित कराये जाने आवश्यक है। अतः ऐसे में पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा 223 बीएनएनएस दिनांक 19.09.2026 को पेश हो।

(मोहित कुमार)
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०
जलेसर, एटा।
(J.O. CODE- UP 4823)

दिनांक 19.08.2026